श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति – यथापंजी।

2. ए0सी0 बिल के विरूद्ध डी0सी0 बिल :–

ए0सी0 बिल के विरूद्ध डी0सी0 बिल के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपदा से संबंधित अंचल अधिकारी सदर द्वारा 2.00 लाख रूपये का डी0सी0 विपत्र नहीं भेजा गया है। अंचल अधिकारी, जमालपुर के पास लंबित नहीं है। अंचल अधिकारी, बरियारपुर एवं तारापुर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा डी0सी0 विपत्र जमा कर दी गयी है। प्राप्ति रसीद माँग की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि प्राप्ति रसीद महालेखाकार बिहार, पटना से जमा करने के समय नहीं दी गयी है।

अंचल अधिकारी, बरियारपुर एवं तारापुर को निदेश दिया गया कि महालेखाकर से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर यह भी सुनिश्चित होंगे कि उनके द्वारा जमा की गयी डी0सी0 विपत्र की राशि का समायोजन हुआ है अथवा नहीं ? इसी प्रकार सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि यह सुनिश्चित हो कि उनके द्वारा जमा की गयी डी0सी0 विपत्र की राशि समायोजित हुई है अथवा नहीं ?

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र से विदित होता है कि मुंगेर जिला में विभिन्न शीर्ष के अन्तर्गत कुल 7044916.00 (सत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ सोलह) रूपये का ही डी0सी0 विपत्र जमा करना है, जिसमें शीर्ष 2029 के तहत 5848886.00 रूपये शीर्ष 3604 के अन्तर्गत 790910.00 रूपये, शीर्ष 4047 में 405120.00 रूपये।

अंचल अधिकारी, ह0 खड़गपुर एवं टेटियाबम्बर को निदेश दिया गया कि शीर्ष 4047 में निकासी की गयी राशि का डी0सी0 विपत्र शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। जिला नाजीर को आदेश दिया गया कि शीर्ष 2029 एवं 3604 से संबंधित डी0सी0 विपत्र तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।

3. दाखिल खारीज :–

दाखिल खारीज से संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार माह जुन, 2013 में अंचलवार निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है :–

| क्र0 | अंचल का नाम | 31.03.13 तक कुल लम्बित वादों की संख्या | 01.04.13 से गत माह तक दायर वादों की संख्या | प्रतिवेदित माह में कुल दायर वादों की संख्या | कुल दायर वादों की संख्या (3+4+5) | 01.04.13 से गत माह तक निष्पादित वादों की संख्या | प्रतिवेदित माह में निष्पादित वादों की संख्या | कुल निष्पादित वादों की संख्या (7+8) | कुल लम्बित वादों की संख्या (6–9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | सदर | 153 | 471 | 328 | 952 | 446 | 364 | 810 | 142 |
| 2 | जमालपुर | 21 | 344 | 230 | 595 | 267 | 237 | 504 | 91 |
| 3 | धरहरा | 76 | 338 | 147 | 561 | 351 | 113 | 464 | 97 |
| 4 | बरियारपुर | 67 | 335 | 180 | 582 | 253 | 133 | 386 | 196 |
| 5 | ह0 खड़गपुर | 46 | 370 | 116 | 532 | 351 | 120 | 471 | 61 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | टेटिया बम्बर | 109 | 204 | 146 | 459 | 216 | 98 | 314 | 145 |
| 7 | तारापुर | 0 | 735 | 461 | 1196 | 429 | 399 | 828 | 368 |
| 8 | असरगंज | 17 | 331 | 206 | 554 | 273 | 124 | 397 | 157 |
| 9 | संग्रामपुर | 43 | 367 | 260 | 670 | 166 | 201 | 367 | 303 |
| कुल योग :– | | **532** | **3495** | **2074** | **6101** | **2752** | **1789** | **4541** | **1560** |

समीक्षा के क्रम में सबसे अधिक मामले लंबित अंचल अधिकारी, सदर के पास 142, बरियारपुर 196, टेटियाबम्बर 145, तारापुर 388, असरगंज 157, संग्रामपुर 303 लम्बित है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी द्वारा लोकसेवा का अधिकार अधिनियम का अक्षरसः पालन नहीं किया जा रहा है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि दाखिल खारीज मामले की लम्बित रहने के संबंध में जाँच किया जाय एवं जाँच प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

## 4. भू–लगान :–

भू–लगान से संबंधित जिला के सभी अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत लगान वसूली की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :–

| क्र0 | अंचल का नाम | लगान वसूली की राशि | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | सदर | **143586.00** | **9.76** |
| 2 | जमालपुर | **147883.00** | **22.35** |
| 3 | धरहरा | **210480.00** | **14.67** |
| 4 | बरियारपुर | **178887.00** | **25.74** |
| 5 | ह0 खड़गपुर | **215331.00** | **15.94** |
| 6 | टेटियाबम्बर | **96647.00** | **15.25** |
| 7 | तरापुर | **255340.00** | **19.12** |
| 8 | असरगंज | **186016.00** | **23.00** |
| 9 | संग्रामपुर | **147220.00** | **17.84** |
| *कुल वसूली* | | **1581390.00** | **17.16** |

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013 – 14 के माह जून तक कुल 1581390.00 (पंद्रह लाख एकासी हजार तीन सौ नब्बे) रूपये की वसूली हुयी है।

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि लगान वसूली की राशि कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करें।

## 5. लोक सेवा का अधिकार अधिनियमः–

लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत् जाति, आय, आवासीय, पेंशन, दाखिल खारीज एवं भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र आता है । वर्त्तमान में विभाग / अधोस्ताक्षरी को ज्यादा शिकायत दाखिल खारिज से संबंधित प्राप्त हो रहा है। दाखिल खारिज हेतु दायर आवेदनों में से बडे. पैमाने पर आवेदन पत्रों को Flimsy ground पर खारिज किया जा रहा है इस के लिए जाँच आवश्यक है। गत बैठक मे भी इस संबंध मे सभी अनुमंडल पदाधिकारीयों को निदेश दिया गया था कि अपने क्षेत्रान्तर्गत अपने स्तर से जाँच कर अघोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन देंगे। जाँच से संबंधित विभागीय पत्र एवं विहित प्रपत्र सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु एक भी अनुमंडल पदाधिकारी /भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया गया है । इस तरह का कृत्य विभागीय निदेश के प्रतिकुल है।

जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में देंगे । यह भी बात प्रकाश मे आयी है कि आर0 टी0 पी0 एस0 काउन्टर पर विचौलियो द्वारा बहुत सा आवेदन पत्र लेकर जमा किया जा रहा है। जिला के सभी अंचल अधिकारीयों को निदेश दिया गया कि समय–समय पर काउन्टर पर चेक करेंगे । यदि कोई व्यक्ति इस तरह का नजर आता है तो उस पर विधि सम्मत कारवाई तथा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करायेगें। इसी तरह से सभी अनुमंडल पदाधिकारी / भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता भी अपने क्षेत्रान्तर्गत अचानक निरीक्षण करेगें एवं इस तरह के कृत्य पर आवश्यक कारवाई करेगें ।

6. सम्पर्क सडक:–

सम्पर्क सडक के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला मे सम्पर्क पथों के लिए भू–अर्जन की कारवाई होना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकरी द्वारा बताया गया कि तीन सम्पर्क पथों के सम्बन्ध मे स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमे भू–अर्जन की धारा 4/6 की कारवाई हो चूकी है। सिर्फ एक सम्पर्क पथ जो सदर अंचल से सम्बन्धित है । जिसमे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अलग–अलग मौजो के लिए अलग–अलग अभिलेख की माँग की गयी है । अंचल अधिकारी, सदर को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर त्रुटि निराकरण कर अलग–अलग मौजा का भू–अर्जन को प्रस्ताव भेजें।

7. भूमि बैंक (**Land Bank**) :–

गत् बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी /भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया था कि जिला मुख्यालय के लिए 100 एकड़, सभी अनुमंडल मुख्यालय के लिए 50 एकड एवं सभी प्रखंड मुख्यालय के लिए 30 एकड कार्यालय विस्तार, आधार भूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए आवासो के निर्माण हेतु भूमि बैक **Land Bank** स्थापित करना है । इसके लिए अपने क्षेत्रान्तर्गत भू–अर्जन/सरकारी भूमि का प्रस्ताव भेजना था, परन्तु एक माह बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अनुंमडल पदाधिकारी सदर/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर एवं अंचल अधिकारी सदर को निदेश दिया गया कि जिला मुख्यालय के लिए 100 एकड भूमि को चिन्हित कर अविलम्ब भू–अर्जन/सरकारी भूमि का प्रस्ताव दे इसी प्रकार सभी अंचल अधिकारी अपने प्रखंड/अंचल के लिए 30 एकड भूमि का प्रस्ताव अगली बैठक के पूर्व देना सुनिश्चित करें। इस कार्य में शिथिलता बरतने पर उनके विरूद्ध विभाग को विधि सम्मत कारवाई हेतु लिखा जायेगा ।

8. बेदखली :–

बेदखली से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिर्फ जिला के तारापुर अंचल में 07 एवं टेटिया बम्बर अंचल में 01 मामले अभी तक लम्बित है जब कि गत बैठक मे उन्हें निदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द उन्हें दखल दिला दिया जाय । अन्य सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि जब भी बेदखली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है तो विधि सम्मत कारवाई करते हुए दखल दिलायेगें एवं तत् सम्बन्ध प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देंगें

9. सैरात :–

सैरात से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के माह जून 2013 तक कुल 1151159.00 (ग्यारह लाख एकावन हजार एक सौ उनसठ) रूपये की वसूली की गयी है। सैरात से संबंधित सभी अंचल अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सैरात के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध नीलाम पत्र दायर करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर/अंचल अधिकारी, तारापुर एवं संग्रामपुर को निदेश दिया गया कि श्रावणी मेला से संबंधित जिन सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं हुयी है। उसे एक सप्ताह के अन्दर बन्दोबस्ती की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

10. भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :–

भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन के प्रगति के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक मात्र 866 मौजों में से सिर्फ 212 मौजों का कम्प्युटरीकरण कार्य हुआ है। गत बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि कार्य की महता को देखते हुए प्रगति लाना सुनिश्चित करें, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारियों द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है। इस निमित सभी अंचल अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि अपन कार्यकलाप में सुधार लायें।